

::कार्यालय-आदेश::

निम्नांकित परीवीक्षाकाल कार्मिको को उनके आवेदन एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा,नागौर एवं बाडमेर की अभिशंषा पर कार्मिको को उनके नाम के सामने अंकित विश्वविद्यालय से बी.एड./एमएससी पत्राचार पाठ्यक्रम अन्तर्गत स्वयं के व्यय पर करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र०स०	जिला	नाम कार्मिक/पदस्थापन	संबंधित विश्वविद्यालय का नाम/वर्ष
1.	नागौर	श्री जयप्रकाश बिजारनियां अराउप्रावि,फतेहसर नागौर	इ.गा.रा.मु.विश्व.वि दिल्ली वर्ष 2019-21 (प्रथम वर्ष)
2.	बाडमेर	हेमाराम,अध्यापकरा.प्रावि,भील भाटो की ढाणी प.स. गिडा	वर्धमान महावीर खुला विश्व.कोटा वर्ष 2019-21 (प्रथम वर्ष)
3.	बाडमेर	करनाराम,अ राउप्रावि,मानपुरा गिडा,	वर्धमान महावीर खुला विश्व.कोटा वर्ष 2019-21 (प्रथम वर्ष)
4.	बाडमेर	हस्ताराम,अ.रा.प्रावि,लोमरोडो की ढाणी जाखडा	वर्धमान महावीर खुला विश्व.कोटा वर्ष 2019-21 (प्रथम वर्ष)
5.	बाडमेर	विशानाराम,अ.रा.प्रावि,मायलो की बस्ती धनाउ	डी.डी.ई विश्व.कुरुक्षेत्र वर्ष 2019-21 (प्रथम वर्ष)
6.	बाडमेर	विशानाराम,अ.रा.प्रावि,हुडो की ढाणी दीनगढ प.स.धनाउ	डी.डी.ई विश्व.कुरुक्षेत्र वर्ष 2019-21 (प्रथम वर्ष)
7.	बाडमेर	पूनम बाई,अ.राउप्रावि,दांखा	वर्धमान महावीर खुला विश्व.कोटा वर्ष 2019-21 (प्रथम वर्ष)
8.	बाडमेर	खुमाराम अ रा.प्रावि,उगरोणियो की ढाणी,गिडा	Universisty School of Open Learning P.U.Chandigarh वर्ष 2019-21 (प्रथम वर्ष)

उपरोक्त स्वीकृति निम्नांकित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-


- कार्मिक को अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा।
- आशार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के गलत पाये जाने पर अनुज्ञा कभी भी समाप्त की जा सकती है।
- पाठ्यक्रम की वैधता न होने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार से मान्यता न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक उत्तरदायी होगा,तथा किसी भी प्रकार का लाम देय नहीं होगा।
- कार्मिक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
- सत्र 2020-21 हेतु पृथक से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

आज्ञा से
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा एवं प.राज(प्राशि)
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/शि.स/एफ-4/पत्रा.बीएड.अनु/समस्त.म/2019/ दिनांक:-28/11/19

प्रतिलिपी:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)प्रारम्भिक शिक्षा,नागौर/बाडमेर।
- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,समग्र शिक्षा अभियान.....।
- पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,.....।
- संबंधित अध्यापक रा.प्रावि/राउप्रावि,..... जिला
- रक्षित पत्रावली।


उपनिदेशक
प्रारंभिक शिक्षा एवं प.राज(प्राशि)
राजस्थान बीकानेर